छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय
महानदी–भवन, नया रायपुर
(संशोधित अधिसूचना)

क्रमांक एफ 20–23/2015/11/(6) रायपुर दिनांक 02.05.2015
5.5.2015

राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–20–36/2014/11(6), दिनांक 28.01.2015 द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 दिनांक 01 नवंबर, 2014 से लागू की है, जिसकी कंडिका 15.19 में उद्योगों को सशर्त औद्योगिक नीति 2009–14 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी दिया है। अतएव औद्योगिक नीति 2009–14 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान/छूट/रियायतों के संबंध में जारी अधिसूचनाओं में संशोधित अधिसूचना के कॉलम–4 "संशोधन" में दर्शाये अनुसार अतिरिक्त कंडिकाएं संशोधित अधिसूचना क्रमांक–2 एवं 3 अनुसार निम्नानुसार दिनांक 01 नवंबर, 2014 से प्रभावशील की जाती है :–

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	नियम	संशोधन
1.	2.	3.	4.
1.	एफ–20–106/2009/11/(6), दिनांक 22.10.2010	छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2009	नियम के बिंदु क्रमांक–5, पात्रता में अतिरिक्त कंडिका–(9) के पश्चात् कंडिका–(10)
2.	एफ–20–107/2009/11/(6), दिनांक 25.06.2011	छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान नियम–2009	नियम के बिंदु क्रमांक–4, पात्रता में कंडिका–(9) के पश्चात् कंडिका–(10)
3.	एफ–20–108/2009/11/(6), दिनांक 22.10.2010	छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम–2009	नियम के बिंदु क्रमांक–5, कंडिका–(9) के पश्चात् अतिरिक्त कंडिका–(10)
4.	एफ–20–109/2009/11/(6), दिनांक 22.10.2010	छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम–2009	नियम के बिंदु क्रमांक–5, पात्रता में कंडिका–(5.11) के पश्चात् अतिरिक्त कंडिका–(5.12)
5.	एफ–20–110/2009/11/(6), दिनांक 24.03.2012	छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम–2009	नियम के बिंदु क्रमांक–4, पात्रता में कंडिका–(4.10) के पश्चात् अतिरिक्त कंडिका–(4.11)
6.	एफ–20–112/2009/11/(6), दिनांक 21.06.2011	छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम–2009	नियम के बिंदु क्रमांक–3, पात्रता में कंडिका–(9) के पश्चात् अतिरिक्त कंडिका–(10)
7.	एफ–20–111/2009/11/(6), दिनांक 22.10.2010	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/	नियम के बिंदु क्रमांक–4, पात्रता में कंडिका–(4.4) के

		जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान नियम–2009	पश्चात् अतिरिक्त कंडिका–(4.5)
8.	एफ–20–120/2009/11/(6), दिनांक 06.01.2012	छत्तीसगढ़ राज्य वेयर हाऊसिंग (गोदाम) एवं लाजिस्टिक हब निर्माण संबंधी मार्गदर्शी नियम–2009	नियम के बिंदु क्रमांक–3, पात्रता में कंडिका–(3.11) के पश्चात् अतिरिक्त कंडिका–(3.12)

2– उपरोक्त कॉलम–4 अनुसार जोड़े जाने वाली कंडिका निम्नानुसार होगी–

"औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2014 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से ई.एम. पार्ट–1/ आई.ई. एम / आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो, जो वैध हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एम.ओ.यू. जीवित हो किन्तु 31–10–2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें दिनांक 31–10–2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2009–14 में प्रावधानित अनुदान/ छूट/ रियायतें प्राप्त होगी, यदि ऐसी इकाई द्वारा **31 मई 2015** के भीतर औद्योगिक नीति 2009–14 का विकल्प लिया जाकर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।"

3– यह अधिसूचना 01 नवम्बर 2014 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग